न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03 / 2019 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. हरिराम
2. परसराम
3. कैलाश

पिसरान रामप्रताप जाति माली निवासी नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्मेन्द्र
2. नरेश
3. पिन्टू

पिसरान लालाराम जाति नाई निवासी नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।
5. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन अधिनियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश भू आवंटन समिति बांदीकुई दिनांक 06.12.2004 मृतक मन्नूलाल बाबत खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.58 है. वाके ग्राम नन्देरा तहसील बसवा)

उपस्थिति : श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री जगजीवन राम बैरवा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1लगायत 3 उपस्थित।

—:निर्णयः— दिनांकः 24.12.2024

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नन्देरा तहसील बसवा में आराजी खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.58 है. सिवायचक भूमि स्थित थी जिस पर उजरातकर्तागण के पूर्वजों का कब्जा अरसा करीब चालीस पचास साल से अधिक समये से चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उजरदारान का ही कब्जा है तथा पूर्व में उजरदारान के पिता पेनल्टी अदा करते आ रहे है तथा उजरदारान व उनके पूर्वजों ने भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी रूपया खर्च किया है। उक्त भूमि उजरदारान के पूर्वज की खातेदारी भूमि से बिल्कुल लगती हुई है जिस पर उजरदारान काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा आज के दिन भी मौके पर प्रार्थीयान का ही वास्तविक कब्जा है, परन्तु मृतक मन्नूलाल ने पटवारी हल्का व आवंटन कमेटी के सदस्यों से साज करके चुपचाप ही दिनांक 06.12.2004 को आंवटन करा लिया तथा मृतक मन्नूलाल ने गैर खातेदारी से खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली जबकि मृतक मन्नूलाल [illegible] कब्जा है और ना ही कभी भी उसके द्वारा आराजी को काश्त की गई। मृतक मन्नूलाल को आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) न्यायालय में प्रस्तुत होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई [illegible] प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जगजीवन राम बैरवा उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:11:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1461 का आवंटन खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली व तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 1461 सिवायचक भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा पूर्वजों के समय से अरसा करीब चालीस पचास साल से चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं भूमि को उपजाऊ बनाने में प्रार्थीयान व उनके पूर्वजों ने लाखों रूपये खर्च किये है तथा उक्त सिवायचक भूमि प्रार्थीगण की भूमि से लगती हुई भूमि है ऐसी सूरत में पुराने कब्जे के आधार पर ही प्रार्थीगण के नाम भूमि नियमन व आवंटन की जानी चाहिये थी। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1461 पर आवंटन के दिन या उसके बाद या उसके पूर्व मृतक आवंटी मन्नूलाल या अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में कब्जा है बल्कि प्रार्थीगण का कब्जा ही पूर्वजो के समये से चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने कभी भी भूमि काश्त नहीं की है। आवंटन की कार्यवाही ना तो मजमे आम में हुई और ना ही आवंटन समिति का पूर्ण कौरम था। यह आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है। आवंटन कराने से पूर्व कोई उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई है। आवंटन के वक्त भूमि खाली नहीं थी। कानूनन खाली भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है। मृतक मन्नूलाल ने आवंटन शर्तो का पालन भी नहीं किया है। कानूनन आवंटन के बाद प्रथम वर्ष में आधी भूमि व द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि काश्त करना अनिवार्य है परन्तु मृतक मन्नूलाल ने आज तक भूमि पर ना तो कब्जा लिया ना ही काश्त की है। आवंटन फार्म भी अपूर्ण भरा हुआ है फार्म में खसरा नम्बर भी अपूर्ण भरे गये है ना ही आवंटन फार्म में आवंटन की दिनांक ही अंकित है। ऐसी स्थित में आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक मन्नूलाल भूमिहीन भी नहीं है। उसकी खातेदारी में पहले से ही काफी भूमि है। पटवारी हल्का ने भी अप्रार्थी को भूमिहीन नहीं बताया है। कानूनन भूमिहीन व्यक्ति को ही भूमि आवंटित की जा सकती है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 बहक मृतक मन्नूलाल निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि आवंटी मृतक मन्नूलाल को किया गया भूमि आवंटन आवंटन सलाहकार समिति ने विधिवत रूप से किया है। प्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि आवंटन गलत रूप से किया गया है परन्तु यह आवंटन गलत कैसे है यह नहीं बताया है। आवंटन से पूर्व उदघोषणा जारी की गई है एवं आवंटन मजमें आम में किया गया है। आवंटित की गई भूमि पर प्रार्थीगण ने अपना कब्जा होना बताया है परन्तु कब्जे के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये गये है, इससे साबित होता है कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। कब्जे के सबूत के तौर पर अप्रार्थीगण द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2066 से 2069 प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार भी आवंटी मन्नूलाल पुत्र कल्याण द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर काश्त किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) वर्ष 2019 में पेश किया गया है जबकि आवंटन दिनांक 06.12.2004 को किया गया है। आवंटन के लगभग 15 वर्ष बाद प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर अप्रार्थीगण को केवल मात्र हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के लिये भी कोई अनुतोष नहीं चाहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 14(4) को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumita Pareek
Date: 2025.02.03 11:11:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 13/2021 प्रार्थना पत्र 14(4)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 बहक मृतक मन्नूलाल बाबत खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.58 है. वाके ग्राम नन्देरा तहसील बसवा के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाता है। मूल आंवटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:11:59 IST
Reason: SelfAttested